[2022] 13 S.C.R. 451

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया
बनाम
विमानन नीति, सुरक्षा एवं अनुसंधान केंद्र
(सीए PSR) & अन्य

(सिविल अपील नं. 6615-6616 / 2022)

30 सितंबर, 2022

[एम. आर. शाह, और कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्तिगण]

भारतीय संविधान - अनुच्छेद 226 - पात्रता मानदंड/निविदा शर्तों की न्यायिक समीक्षा - इसका क्षेत्र और सीमा - निष्कर्ष: प्रतिवादी संख्या 1 को नागरिक उड़ान में अनुसंधान, सलाह और समर्थन करने वाले एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में दावा करते हुए अपीलकर्ता-ए ए आईद्वारा उड़ाने जा रहे प्रत्येक अनुरोध के लिए प्रस्ताव (आरएफपी) में निविदा शर्तों की चुनौती दी - निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले और/या निविदा प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम थे, उनमें से किसी ने भी निविदा शर्तों की चुनौती नहीं दी - उच्च न्यायालय के सामने यचिका सार्वजनिक हित में याचिका की प्रकृति में नहीं थी - प्रतिवादी संख्या 1 को "पीड़ित पक्ष" नहीं कहा जा सकता - उच्च न्यायालय को प्रतिवादी संख्या 1 की लोकस स्टेंडी(सुने जाने का अधिकार) के आधार पर यचिका को खारिज कर देना चाहिए था - इसके अलावा, निविदा को आमंत्रित करने की शर्तें निविदा/निविदा बनाने वाले प्राधिकृत व्यक्ति के क्षेत्र में हैं और वे अनुबंध की जगह में न्यायिक समीक्षा के लिए खुले नहीं हैं, जब तक वे मनमाना, भेदभावपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण न हों - गुणवत्ता पर, ए ए I(एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने उच्च न्यायालय के सामने प्रत्येक शर्त के पीछे का कारण बताया, अर्थात, 49 हवाई अड्डों को 4 प्रदेश-वार उप-श्रेणियों/समूहों में बाँटना; मूल्यांकन के लिए मानदंड - पिछले 7 वर्षों में 3 में से 7 कोर जीएचएस में प्रदान करने का 36 महीने का अनुभव और वित्तीय क्षमता- पिछले तीन वित्तीय वर्षों में किसी एक में रु. 30 करोड़ (रु. 18 करोड़ के रूप में संशोधित) की वार्षिक टर्नओवर - प्रत्येक धारा/शर्त को मनमाना और/या दुर्भावनापूर्ण और/या पक्षपात से प्रेरित होने का कहा नहीं जा सकता - यह ए

ए ।(एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के लिए था कि वह अपनी खुद की शर्तें तय करे और पात्रता मानदंड तय करे - आलोचित आदेश अलग किया गया - प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर यचिका खारिज की गई।

माँ बिंदा एक्सप्रेस कैरियर बनाम उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे **(2014) 3 SCC 760 : [2013] 12 SCR 529***; शिक्षा निदेशालय बनाम एजुकॉम्प डेटामैटिक्स लिमिटेड* **(2004) 4 SCC 19 : [2004] 2 SCR 1010;** *मेरठ विकास प्राधिकरण बनाम एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज* **(2009) 6 SCC 171 : [2009] 6 SCR 663;** *मिशिगन रबर (इंडिया) लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य* **(2012) 8 SCC 216 : [2012] 8 SCR 128** *- आधार पर. आनंद शरदचंद्र ओका बनाम मुंबई विश्वविद्यालय* **(2008) 5 SCC 217 : [2008] 2 SCR 297 - संदर्भित।**

<u>न्यायिक संदर्भ</u>

[2008] 2 SसीR 297	**संदर्भित**	**पैरा 3.1**
[2013] 12 SसीR 529	**आधार पर**	**पैरा 3.6**
[2004] 2 SसीR 1010	**आधार पर**	**पैरा 3.6**
[2009] 6 SसीR 663	**आधार पर**	**पैरा 3.6**
[2012] 8 SसीR 128	**आधार पर**	**पैरा 3.6**

सिविल अपील अधिकारिकता: सिविल अपील संख्या 6615-6616 of 2022.

दिल्ली के उच्च न्यायालय से तारीख 14.07.2021 के निर्णय और आदेश में WP (सी) संख्या 5722 of 2020

के. एम. नटराज, ए SG, विनयक शर्मा, शुभम सेठ, मृणाल चौधरी, निकिलेश रामचंद्रन, वकील अपीलकर्ता के लिए।

उमाकांत मिश्रा, सिबो संकर मिश्रा, निरंजन साहू, सचिन पाटिल, सिद्धार्थ धरमाधिकारी, जियो जोसेफ, दुर्गेश गुप्ता, आदित्य अनिरुद्ध पांडे, वकील प्रतिवादियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय दिया गया था

एम. आर. शाह, न्यायमूर्ति

1. दिल्ली के उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.07.2021 को पारित फैसला और आदेश से संतुष्ट नहीं होकर, जिसमें वृत्त प्रार्थना (सिविल) संख्या 5722 of 2020 में उच्च न्यायालय ने, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस प्रार्थना पत्र को स्वीकृत किया और 49 हवाई अड्डों की क्षेत्रवार उप-वर्गीकरण का निर्णय रद्द किया, जो समूह डी-1 के तहत आते हैं; यह स्थिति केवल पहले काम के अनुभव को स्वीकार किया जाएगा जो निर्धारित विमानों को जीएचएस(ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियां) प्रदान करने के संबंध में है, उस निर्धारित टेंडर/आरएफपी के उद्देश्य के लिए और INR 18 करोड़ के वार्षिक टर्नओवर मानदंड को भेदभावपूर्ण और मनमाना मानते हुए, एयरपोर्ट प्राधिकरण ऑफ इंडिया (संक्षेप में, - ए ए आई) ने सिविल अपील संख्या 6615/2022 प्रस्तुत की है। वृत्त प्रार्थना संख्या 150/2021 में पारित समीक्षा आवेदन को खारिज करने वाले आदेश दिनांक 24.09.2021, जिसमें प्रार्थना पत्र संख्या 5722/2020 में पारित अंतिम फैसला और आदेश की समीक्षा और पुनः स्थापित करने की मांग की गई है, वह भी सिविल अपील संख्या 6616/2022 का विषय उस निर्धारित टेंडर/आरएफपी के उद्देश्य के लिए और INR 18 करोड़ के संशोधित न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर मानदंड को भेदभावपूर्ण और मनमाना मानते हुए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ('ए ए I' के लिए संक्षेप में) ने सिविल अपील संख्या 6615/2022 प्रस्तुत की है। दिनांक 24.09.2021 का बाद में का आदेश, जिसमें समीक्षा याचिका संख्या 150/2021 को समीक्षा और पुनः स्थापित करने की मांग की गई है, वह भी सिविल अपील संख्या 6616/2022 का विषय है।

2. इस अपील में प्रस्तुत तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित हैं:

यहाँ का अपीलकर्ता - ए ए आई ने 01.05.2018 को अपने द्वारा स्वामित 'ए', 'बी और 'सी' हवाई अड्डों पर भूमि सेवा समर्थन के लिए प्रस्ताव ('आरएफपी' के लिए संक्षेप में)/प्रस्तावजारी किया। अपीलकर्ता ए ए आई ने भी 02.05.2018 को अपने द्वारा स्वामित 'डी' हवाई अड्डों पर भूमि सेवा समर्थन के लिए आरएफपी/प्रस्तावजारी किया। 'डी' हवाई अड्डों के लिए आरएफपी को कई बार संशोधित किया गया और अंततः शुद्धिपत्र संख्या. 21 के रूप में पुनः प्रकाशित किया गया। हालांकि, बाद में, पत्र दिनांक 10.06.2019 के माध्यम से, ए ए आई ने 'डी' हवाई अड्डों के लिए पहले जारी किए गए प्रस्तावको रद्द कर दिया। उसके बाद, ए ए आई ने 28.07.2020 को 'डी1' हवाई अड्डों के लिए एक ताजा आरएफपी प्रकाशित किया। प्रत्येक आरएफपी में पात्रता मानदंड शामिल थे जिसमें तकनीकी और वित्तीय योग्यता शामिल थी।

2.1 यहाँ का प्रतिवादी संख्या 1 - विमानन नीति, सुरक्षा और अनुसंधान केंद्र (सीए PSR) ने उच्च न्यायालय के सामने एक रिट याचिका दायर की, जिसमें समूह 'सी', 'डी1' और

'डी2' हवाई अड्डों के संबंध में पात्रता मानदंड और संबंधित आरएफपी को चुनौती दी गई, जिसका तर्क था कि आरएफपी में शामिल पात्रता मानदंड न केवल अतीत से एक उलटा प्रस्थिति है, बल्कि यह भारी तकनीकी और वित्तीय योग्यता भी प्रतिपादित करता है, इससे अधिकांश मौजूदा भूमि संचालन प्राधिकरण 'जीएचएस' के लिए संक्षेप में) प्रस्तावप्रक्रिया में भाग लेने के लिए अयोग्य हो जाते हैं, विशेष रूप से उनका जो देश के छोटे हवाई अड्डों पर भूमि संचालन सेवाएं ('जीएचएस' के लिए संक्षेप में) प्रदान कर रहे हैं, जो समूह 'सी', 'डी1' और 'डी2' हवाई अड्डों की श्रेणियों के तहत आते हैं, पिछले कई वर्षों से। इसे भी मौलिक रिट याचिकाकर्ता की ओर से यह मामला था कि निर्धारित तकनीकी और वित्तीय योग्यता में समूह 'सी', 'डी1' और 'डी2' हवाई अड्डों पर प्रदान की जाने वाली जीएचएस से कोई संबंध नहीं है और यह स्वीकार किया गया है कि इसे मनमाना और स्वेच्छा से तैयार किया गया है, ताकि मौजूदा जीएचएस प्रदायकों को बाहर किया जा सके, जो कई वर्षों से इन सेवाओं को प्रदान कर रहे हैं, बिना किसी शिकायत के।

2.2. रिट याचिका को एए आई द्वारा एक प्रतिवादी हलफनामा दाखिल करके विरोध किया गया था। ए ए आई की तरफ से यह मामला था कि समूह 'सी', 'डी1' और 'डी2' हवाई अड्डों के लिए टेंडरों का उद्देश्य छोटे खिलाड़ियों को बाहर करना नहीं था, बल्कि उन जीएचए को बाहर करना था जिनमें विशेषज्ञता और ढांचा की कमी थी और जो अनौपचारिक और अकुशल श्रमिकों को काम में ले रहे थे, जिससे वे अन्य जीएचए की तुलना में बेहतर दर प्रदान कर सकते थे। ए ए आईकी ओर से भी यह मामला था कि निर्धारित उड़ानों के लिए जीएचएस में अनुभव का महत्व ध्यान में रखते हुए, निर्धारित उड़ानों में काम की प्रकृति गैर-निर्धारित उड़ानों से अधिक है। इसलिए, पिछले 7 वर्षों में निर्धारित उड़ानों के लिए भूमि संचालन सेवाओं को संचालित करने में 36 महीने का अनुभव यथार्थ था। ए ए आईकी ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया था कि संजीवनी धन जमा, वार्षिक पलट आधार और योग्यता अनुभव मापदंड अर्बुद्ध, अतर्कित और भेदभावपूर्ण नहीं है। यह भी उल्लेख किया गया था कि समूह 'डी1' हवाई अड्डों के लिए प्रस्तावमें आवश्यक संजीवनी धन जमा राशि को प्रति क्षेत्र 35 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक घटाया गया है। ए ए आईने भी समूह 'डी1' हवाई अड्डों के लिए 30 करोड़ रुपये के वार्षिक पलट मापदंड को सत्यापित करने की कोशिश की। इस स्तर पर, यह ध्यान देने की जरूरत है कि उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार, ए ए आईने समूह 'डी1' हवाई अड्डों के लिए वार्षिक पलट मापदंड की आवश्यकता को 18 करोड़ रुपये तक घटाने की सहमति दी। ए ए आईने प्रतिवादी संख्या 1 - मौलिक रिट याचिकाकर्ता की स्थलीयता को भी चुनौती दी।

2.3 आलोचित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने संबंधित आरएफपी को अलग किया है और समूह डी-1 के अंतर्गत 49 हवाई अड्डों की प्रदेश-वार सह-वर्गीकरण को अन्यथा करने का निर्णय अलग किया है। उच्च न्यायालय ने आरएफपी में प्रतिबद्धता को भी अलग किया है कि केवल निर्धारित विमानों के प्रति जीएचएस प्रदान करने में पिछला कार्य अनुभव ही आलोचित टेंडर/आरएफपी और संशोधित न्यूनतम वार्षिक पलट मापदंड के उद्देश्य के लिए स्वीकार्य माना जाएगा जिसकी मौद्रिक मान भारतीय रुपये में 18 करोड़ है, और इसे भेदभावपूर्ण और स्वेच्छिक मानते हुए अलग किया है।

2.4 उच्च न्यायालय द्वारा पास किए गए आलोचित निर्णय और आदेश, और समीक्षा प्रक्रिया में पास किए गए आदेश से असंतुष्ट और आहत महसू स करते हुए, मौलिक प्रतिवादी - ए ए आईने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है

3. ए ए आईके लिए प्रस्तुत भारतीय अतिरिक्त महान्यायाधीवक्ता श्री के. एम. नटराज ने उच्च न्यायालय द्वारा पास किए गए आलोचित निर्णय और आदेश को चुनौती दी है, इसमें, मुख्य रूप से, निम्नलिखित आधारों पर:

i) उच्च न्यायालय के सामने मौलिक रिट याचिकाकर्ता के पास रिट याचिका बनाए रखने का कोई स्थान नहीं है;

ii) प्रस्तावको आमंत्रित करने की शर्तें और शर्तें, जो अनुबंध के क्षेत्र में हैं, न्यायिक समीक्षा के लिए खुले नहीं हैं; और

iii) वर्तमान मामले के तथ्य में 2012 का एमएसएमई आदेश और 2018 का एमएसएमई आदेश लागू नहीं है।

3.1 उपर्युक्त आधारों को विस्तार से दर्शाते हुए, श्री के. एम. नटराज, ए एस जीने प्रत्यास्थापन किया कि मौलिक रिट याचिकाकर्ता सिविल एविएशन के क्षेत्र में स्वतंत्र अनुसंधान, सलाहकार और प्रतिस्पर्धा करने वाला एक गैर-लाभकारी संगठन है। इस बारे में दावा किया गया है कि स्थिर स्थिति के अनुसार, गैर सरकारी संगठनों को प्रस्तावशर्तों को चुनौती देने वाली रिट याचिका बनाए रखने का कोई स्थान नहीं है, विशेष रूप से जब यह सार्वजनिक हित में याचिका की प्रकृति में नहीं है। यह दावा किया गया है कि एक गैर

सरकारी संगठनों को प्रस्ताव विवादों में प्रवेश करने का कोई काम नहीं है क्योंकि यह अनुबंध के क्षेत्र में आता है। यह दावा किया गया है कि मौलिक रिट याचिकाकर्ता को प्रभावित और/या आहत पक्ष के रूप में कहा नहीं जा सकता है और इसलिए मौलिक रिट याचिकाकर्ता की ओर से, प्रस्तावप्रक्रिया को चुनौती देते हुए रिट याचिका बनाए रखने योग्य नहीं था। इस निर्णय पर भरोसा किया गया है जो इस न्यायालय द्वारा *अनंद शरदचंद्र ओका बनाम मुंबई विश्वविद्यालय, (2008) 5 Sसीसी 217 (पैरा 12) में लिया गया था।*

3.2 ए एस जी ने प्रस्तुत किया कि मौलिक रिट याचिकाकर्ता मुख्य रूप से प्रश्नात्मक प्रस्तावकी तीन शर्तों/शर्तों को चुनौती दिया था, नामक,

I. 49 हवाई अड्डों को 4 प्रदेश-वार उप-श्रेणियों/समूहों में विभाजित करना;

II. मूल्यांकन का मानदंड - धारा 3.2.1 - पिछले 7 वर्षों में 3 से 7 मुख्य जीएचएस में 36 महीने का अनुभव प्रदान करना; और

III. वित्तीय क्षमता - धारा 3.2.2 - पिछले 3 वित्तीय वर्षों में 30 करोड़ की वार्षिक टर्नओवर।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपर्युक्त सभी मानदंडों में सख्त तर्क है और इसलिए भारतीय संविधान की अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के सामने एक रिट याचिका का विषय नहीं हो सकता था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां 49 हवाई अड्डों को 4 प्रदेश-वार उप-श्रेणियों/समूहों में विभाजित करने का सवाल है, समूह के 'डी1' श्रेणी के प्रत्येक 49 हवाई अड्डों के लिए अलग-अलग प्रस्तावको आमंत्रित करने और साथ में सौदा करने के जटिल प्रशासनिक कार्य से बचने और प्रदेशीय संबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समूहीकरण किया गया था।

3.3 यह प्रस्तुत किया गया है कि मूलत: 7 में से 3 कोर जीएचएस प्रदान करने में पिछले 7 वर्षों में 36 महीने के अनुभव के संबंध में, नियमित एयरलाइंस को संचालित करने के अनुभव को प्रस्तुत करने का उद्देश्य था कि ऐसी एयरलाइंस बड़े विमान चलाती हैं और विमानन क्षेत्र के खुलने के साथ भविष्य में उड़ानों, यात्रीयों और माल की मात्रा में वृद्धि होगी।

3.4 अब जितना की आखिरी तीन वित्तीय वर्षों में किसी भी एक में Rs. 30 करोड़ की वार्षिक टर्नओवर की वित्तीय क्षमता प्रदान करने और/या ज़ोर देने का संबंध है, इसे प्रस्तुत किया गया है कि इसे Rs. 18 करोड़ तक घटाया गया था। इसे प्रस्तुत किया गया है कि

निविदा की प्रकृति और निविदा के अनुसार आवश्यक वित्तीय मज़बूती को ध्यान में रखते हुए उक्त मानदंड तय किया गया था।

3.5 इसे प्रस्तुत किया गया है कि उक्त शर्तें वाणिज्यिक विचार और वाणिज्यिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए शामिल की गई हैं और निविदा बनाने वाला प्राधिकृत अपनी वाणिज्यिक बुद्धि के आधार पर शर्तें तैयार करने के अपने अधिकार में है।

3.6 यह प्रस्तुत किया गया है कि अधिकृत न्यायिक स्थिति के अनुसार, निविदा को आमंत्रित करने की शर्तें और शर्तें निविदा बनाने वाले प्राधिकृत के प्रशासन/नीति निर्णय के दायरे में हैं और ऐसे ही न्यायिक समीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं हैं जब तक वे मनमान्य, भेदभावपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण न हों। इस अदालत के निर्णयों पर भरोसा किया गया है, जैसे कि ***माँ बिंदा एक्सप्रेस कैरियर बनाम उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे मामले में, (2014) 3 Sसीसी 760 (पैरा 8); शिक्षा निदेशालय बनाम एजुकॉम्प डेटामैटिक्स लिमिटेड, (2004) 4 Sसीसी 19 (पैरा 12); मेरठ विकास प्राधिकृत बनाम प्रबंधन अध्ययन संघ, (2009) 6 Sसीसी 171 (पैरास 26 & 27); और मिशिगन रबर (इंडिया) लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य, (2012) 8 Sसीसी 216 (पैरास 23 & 35).***

3.7 उपर्युक्त प्रस्तुतियों को करते हुए और उक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह प्रचंड रूप से प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान की धारा 226 के तहत अधिकारों का अभ्यास करते हुए निविदा बनाने वाले प्राधिकृत के प्रशासन/नीति निर्णय में हस्तक्षेप करने में भूल की है।

3.8 अब जितना की उच्च न्यायालय द्वारा 2012 और 2018 के एमएसएमई आदेशों पर भरोसा किया गया है, इसे प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त आदेशों पर भरोसा गलत है क्योंकि प्रश्न में निविदाएँ जीएचएस को प्रदान करने के लिए जीएचएस का चयन करने के उद्देश्य से जार

3.9 यह प्रस्तुत किया गया है कि अन्यथा भी यह स्पष्ट है कि 2012 के एमएसएमई आदेश की धारा 3 की उप-धारा (1) से, निर्धारित न्यूनतम थ्रेशोल्ड वार्षिक लक्ष्य के लिए समग्र प्रक्रिया है और इसे प्रत्येक निविदा पर व्यक्तिगत रूप से लागू नहीं किया जा सकता। इसके अलावा प्रस्तुत किया जाता है कि 2012 के एमएसएमई आदेश की धारा 3 की उप-धारा (4) का अध्ययन दिखाता है कि आदेश का आदेश सम्पूर्ण नहीं है। यह प्रावधान करता है कि यदि किसी मंत्रालय, विभाग या पीएसयू को उद्देश्य को पूरा करने में विफलता होती है, तो वे उसे कारणों से संज्ञान में लेंगे, इसका मतलब है कि आदेश के तहत आवश्यकता से विचलन को दृष्टिगोचर किया गया है जब तक वही कारणों से संज्ञान में नहीं लिया जाता।

3.10 उपर्युक्त प्रस्तुतियों को करते हुए और उक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपीलों को स्वीकार किया जाए और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आलोचित निर्णय और आदेश को रद्द और निरस्त कर दिया जाए।

4.वर्तमान अपील को श्री उमाकांत मिश्रा, प्रतिवादी संख्या 1 - मौलिक रिट याचिकाकर्ता की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे प्रतिष्ठित वकील द्वारा प्रचंड रूप से विरोध किया जा रहा है।

4.1 श्री उमाकांत मिश्रा, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रतिष्ठित वकील द्वारा प्रचंड रूप से प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 के सभी सदस्य जीएचए हैं और इन्हें निविदा में भाग लेना था। यह प्रस्तुत किया गया है कि जब प्राधिकृत अधिकारियों ने प्रतिवादी संख्या 1 के व्यक्तिगत जीएचए सदस्यों के प्रतिनिधित्व का जवाब नहीं दिया, तो उच्च न्यायालय के सामने निविदा में की गई अवैध नीति परिवर्तनों को चुनौती देने के लिए एक रिट याचिका दी गई थी। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादी संख्या 1 - मौलिक रिट याचिकाकर्ता को सबसे अधिक स्वैच्छिक और अवैध निविदा शर्तों को चुनौती देने के लिए रिट याचिका दायर करने की स्थिति नहीं थी।

4.2 फिर यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि निविदा शर्त संख्या 2.2.1(ए) ने तीन इकाइयों को एक संघ बनाने की अनुमति दी थी ताकि वे बोली लगा सकें, प्रतिवादी अपने दो सदस्य जीएचए के साथ एक संघ के रूप में संभावित बोलीदाता हो सकता था, जो एमएसएमईके रूप में अधिकतम 5 करोड़ रुपये की मात्रा में वार्षिक परिवर्तन रख सकते थे। यह प्रस्तुत किया गया है कि हालांकि बोली लगाने के लिए पात्र होने का मानदंड मनमाने

रूप से 30 करोड़ रुपये के रूप में निर्धारित किया गया था, तो भी इस प्रकार के पात्रता मानदंड ने प्रतिवादी और उसके सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया, जो एमएसएमई हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वहाँ भी प्रतिवादी संख्या 1 को रिट याचिका दायर करने की स्थिति है।

4.3 तब प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में ए ए आई पहले ही ए ए आई अधिनियम, 1994 की धारा 12(5) की प्रावधानों की अवहेलना की थी, जो एमएसएमई अधिनियम और 2012 के एमएसएमई आदेश के प्रावधानों के साथ पठित होता है, और सरकार की सांविधिक सार्वजनिक प्रोधून की नीति जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि ए ए आई को एमएसएमई क्षेत्र से 25% सेवाएं प्राप्त करनी चाहिए और इसके साथ ही अन्य लाभ देना

चाहिए जैसे कि मुफ्त में निविदा और ईमानदारी पैसे जमा (ईएमडी) से छूट प्रदान करना छोटे और मध्यम उद्यमों को पंजीकृत करना। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में ए ए आईने तकनीकी पात्रता मानदंड में कृत्रिम भेदभाव शामिल किया, जिसमें निर्धारित किया गया था कि केवल निर्धारित विमान सेवाओं के लिए जीएचएस प्रदान करने में अनुभव, जबकि ए ए आई(जीएचएस) विनियमन, 2018 में अनियमित या निर्धारित विमान सेवाओं के लिए प्रदान किए गए जीएचएस के बीच कोई भेदभाव नहीं है।

4.4 इसे आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही रूप से निरीक्षण और ठहराया है कि निविदाओं में तय की गई शर्तें भेदभावपूर्ण, प्रतिबंधक, और बहिष्करणकारी हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि छोटे हवाई अड्डों के समूहन, विभिन्न आकार, विभिन्न क्षमता से विमानों को संभालने की, विभिन्न वित्तीय साध्यताओं, विभिन्न स्थानों में प्रदेशों में परिवर्तन आदि ना तो समझाया जा सकता है और न ही यह प्रतिवादी की सुरक्षा के अभिप्रेत उद्देश्य से किसी तरह का संबंध है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि प्रासंगिक पात्रता मानदंड और उल्लेखित निविदाओं में उल्लेखित शर्तें भेदभावपूर्ण और मनमाना पाए गए थे और इस प्रकार की पात्रता मानदंड प्रदान करने के उद्देश्य से कोई संबंध नहीं था, उच्च न्यायालय ने 49 हवाई अड्डों के समूह डी -1 के तहत; यह तय किया गया कि केवल पूर्व में काम करने का अनुभव जीएचए को निर्धारित हवाई जहाजों को प्रदान करने के संबंध में मान्य होगा आपत्तित निविदा/ आरएफपी के उद्देश्य के लिए और वार्षिक परिवर्तन मानदंड को आईएनआर (भारतीय रूपया) 18 करोड़ के रूप में भेदभावपूर्ण और मनमाना माना गया।

4.5 उपर्युक्त प्रस्तुतियों को दर्शाते हुए, प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपीलों को खारिज किया जाए।

5. हमने संबंधित पक्षों के वकीलों से विस्तार से सुना। सबसे पहले, यह ध्यान में रखना जरूरी है कि प्रतिवादी नंबर 1 नागरिक उड़ान के क्षेत्र में अनुसंधान, सलाह और सलाह देने वाले गैर-लाभकारी संगठन के रूप में दावा करता है जिसने संबंधित आरएफपी में निविदा शर्तों को चुनौती देने के लिए एक रिट याचिका दायर की थी। यह ध्यान में रखना जरूरी है कि निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले जिन जीएचए में से किसी ने भी निविदा शर्तों को चुनौती नहीं दी। यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि उच्च न्यायालय के सामने याचिका सार्वजनिक हित में नहीं थी। इस दृष्टिकोण में, यह समझ में नहीं आता है कि प्रतिवादी नंबर 1 - मौलिक रिट याचिकाकर्ता एक गैर सरकारी संगठनों होते हुए संबंधित आरएफपी में निविदा शर्तों को चुनौती देने के लिए रिट याचिका दायर कैसे कर सकता है। प्रतिवादी नंबर 1 को "पीड़ित पक्ष"

कहा नहीं जा सकता है। इसलिए, वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से रिट याचिका में पात्रता मानदंड/निविदा शर्तों को चुनौती देने में गलती की है। उच्च न्यायालय को प्रतिवादी नंबर 1 - मौलिक रिट याचिकाकर्ता की स्थिति के आधार पर रिट याचिका को खारिज कर देना चाहिए था।

6. इसके अलावा, योग्यता मानदंड/निविदा शर्तों को उल्टने और अलग करने में उच्च न्यायालय द्वारा की गई गलती पर भी, संविधान की अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का अभ्यास करते समय, इसका भी विचार किया जाना चाहिए। निर्धारित कानूनिक स्थिति के अनुसार, निविदा को आमंत्रित करने की शर्तें निविदा डालनेवाले/निविदा बनाने वाले प्राधिकृत के डोमेन में हैं और ये न्यायिक समीक्षा के लिए खुले नहीं हैं, जब तक वे मनमाना, भेदभावपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण नहीं होते। निविदा को आमंत्रित करने की शर्तों के अनुसार, न्यायिक समीक्षा के लिए खुले नहीं होने पर, वही संविधान के क्षेत्र में है। सरकार/निविदा डालनेवाला/निविदा बनाने वाला प्राधिकृत निविदा की शर्तें तय करने में एक स्वतंत्र हाथ होना चाहिए।

7. अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के दायरे और सीमा को देखते हुए, इस अदालत के कुछ निर्णयों का संदर्भ लिया जाना चाहिए, जो निम्नलिखित हैं:

माँ बिंदा एक्सप्रेस कैरियर (अपरोक्त) मामले में, पैराग्राफ 8 में, इस अदालत ने निम्नलिखित रूप में देखा और तय किया:

> **"8.** राज्य और उसके उपकरणों द्वारा संविधान को प्रदान करने के संबंध में न्यायिक समीक्षा की सीमा इस अदालत के एक लंबी श्रृंखला के निर्णयों द्वारा स्थिर है। जबकि ये निर्णय स्पष्ट रूप से मानते हैं कि संविधान को प्रदान करने में सरकार और उसके उपकरणों द्वारा अभ्यासित शक्ति एक पीड़ित पक्ष की ओर से न्यायिक समीक्षा के अधीन है, ऐसे संविधान को आमंत्रित करने के लिए सूचना का जवाब देना केवल एक प्रस्ताव बनाने के लिए कुछ और नहीं है जिसे राज्य या उसके एजेंसियों को स्वीकार करने का कोई अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार, निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोलिदार इस पर जोर नहीं दे सकते हैं कि उनकी निविदाएँ स्वीकार की जाएं क्योंकि एक दिए गए निविदा सबसे ऊँचा या सबसे निचला है, इस पर निर्भर करता है कि संविधान सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री के लिए है या सरकार की ओर से कार्यों के कार्यान्वयन के लिए है। सभी भाग लेने वाले बोलिदारों को सिर्फ उनकी निविदाओं के मूल्यांकन में एक निष्पक्ष, समान और भेदभावपूर्ण नहीं होने वाला व्यवहार मिलता है। यह भी काफी अच्छी तरह से स्थापित है कि एक संविधान को प्रदान करना मूल रूप से एक वाणिज्यिक लेन-देन है जिसे ऐसे वाणिज्यिक निर्णय के लिए प्रासंगिक विचारों के आधार पर तय

किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि निविदाएँ आमंत्रित करने के लिए शर्तें न्यायिक समीक्षा के लिए खुली नहीं हैं जब तक यह पाया जाता है कि वे किसी विशेष निविदा दाता या निविदा दाता की श्रेणी को लाभ पहूँचाने के लिए तैयार किए गए हैं। इसी तरह, निविदा आमंत्रित करने वाला प्राधिकृत नेगोशिएशन में प्रवेश कर सकता है या सच्चे और सटीक कारणों के लिए आराम प्रदान कर सकता है जब तक ऐसा आराम निविदा प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले शर्तों के अंतर्गत अनुमत नहीं है।"

मिशिगन रबर (इंडिया) लिमिटेड (अपरोक्त) के मामले में, निविदा शर्तों के संबंध में न्यायिक समीक्षा पर कानून को ध्यान में रखते हुए, अंतत: पैराग्राफ 23 में इस प्रकार निष्कर्ष पर पहुंचाया गया है:

"23. उपर्युक्त निर्णयों से निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैं:

(ए) संविधान की अनुच्छेद 14 की मूल आवश्यकता राज्य द्वारा कार्रवाई में न्याय है, और सार्थकता में अव्यावस्थितता समानता की धड़कन है। इन कार्रवाइयों का न्यायिक समीक्षा केवल इस हद तक संभव है कि राज्य को किसी स्पष्ट कारण के लिए वैधता से कार्य करना चाहिए और किसी अन्य गोपनीय उद्देश्य के लिए मनमाने तरीके से नहीं। अगर राज्य समझदारी की सीमा में कार्य करता है, तो इसे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना उचित होगा;

(b) निविदा की मूल्य निर्धारण प्रक्रिया पूरी तरह से कार्यकारी के अधिकार क्षेत्र में है और इस प्रक्रिया में अदालतों का भूमिका बहुत ही सीमित है, छोड़कर ऐसी कार्यवाही को अस्वीकार करना जिसे साबित किया जाता है कि वह मनमाना या अतर्कित है। अगर सरकार कुछ स्वस्थ मानकों और नियमों के अनुसार कार्य करती है जैसे कि निविदा आमंत्रित करके अनुबंध प्रदान करना, तो उस परिस्थिति में, अदालतों द्वारा हस्तक्षेप बहुत ही सीमित है;"

(सी) प्रस्ताव डॉक्यूमेंट की शर्तें तैयार करने और एक अनुबंध प्रदान करने के मामले में, राज्य प्राधिकृतियों को अधिक स्थान देना चाहिए जब तक प्रस्तावप्राधिकृतियों की क्रियावली को दुर्भावनापूर्ण और इसकी सांविधिक शक्तियों का दुरुपयोग पाया जाता है, अदालतों द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए;

(डी) सुनिश्चित करने के लिए टेंडर्स के लिए कुछ पूर्वशर्तें या योग्यताएं तय की जानी चाहिए कि ठेकेदार के पास कार्य को सफलता से अंजाम देने की क्षमता और संसाधन हैं; और

(e) अगर राज्य या इसकी साधारणिकाएं समझदारी से, निष्पक्ष रूप से और सार्वजनिक हित में अनुबंध प्रदान करते हैं, तो यहां फिर, अदालत द्वारा हस्तक्षेप बहुत प्रतिबंधित है क्योंकि कोई व्यक्ति सरकार के साथ व्यापार करने का मौलिक अधिकार दावा नहीं कर सकता।।

उपर्युक्त निर्णय में आगे भी ध्यान दिया गया है कि सरकार और उनके उपक्रमों को प्रस्तावकी शर्तें तय करने में एक स्वतंत्र हाथ होना चाहिए और केवल यदि यह मनमाना, भेदभावपूर्ण, दुर्भावनापूर्ण या पक्षपात से प्रेरित होता है, तो अदालतें हस्तक्षेप करेंगी। इसे आगे भी ध्यान दिया गया है कि अदालतें सरकार द्वारा तय की गई प्रस्तावकी शर्तों के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं क्योंकि यह महसूस करती है कि प्रस्तावमें कुछ अन्य शर्तें निष्पक्ष, समझदारी से या तार्किक होती।

एजुकॉम्प डेटामैटिक्स लिमिटेड (अपरोक्त) और मेरठ विकास प्राधिकरण (अपरोक्त) के मामले में भी समान विचार प्रकट किए गए हैं।

8.वर्त जीएचएस जीएचएस मान मामले में, ए ए आई ने उच्च न्यायालय के सामने संबंधित शर्तों के पीछे की समझ बताई, अर्थात्, 49 हवाई अड्डों को 4 प्रदेश-वार उप-श्रेणियों/समूहों में बाँटने का; मूल्यांकन के लिए मानदंड - पिछले 7 वर्षों में 3 में से 7 मुख्य जीएचएस में 36 महीने का अनुभव और वित्तीय क्षमता - पिछले तीन वित्तीय वर्षों में किसी एक में 30 करोड़ रुपए (जिसे 18 करोड़ रुपए में संशोधित किया गया) की वार्षिक उपज।

9. जब हम उच्च न्यायालय द्वारा मनमाना और अवैध माने जाने वाले संबंधित धाराओं/शर्तों को देखते हैं, हम इस राय में हैं कि वह मनमाना और/या दुर्भावनापूर्ण और/या पक्षपात से प्रेरित नहीं कहे जा सकते। यह ए ए आई के लिए था कि वह अपनी शर्तें तय करे और पात्रता मानदंड तय करे।

10. इस न्यायालय द्वारा उपर्युक्त निर्णयों में निर्धारित कानून को लागू करते हुए, हम इस राय में हैं कि उच्च न्यायालय ने पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 - मूल रिट याचिकाकर्ता, एक एनजीओ की स्थिति पर रिट याचिका मनोरंजन करने में एक गंभीर त्रुटि की है और प्रस्ताव दस्तावेज़ों में उल्लेखित प्रासंगिक पात्रता मानदंड/शर्तों को अवैध मानकर भी।

11. अब 2012 और 2018 के एमएसएमई आदेशों पर मूल रिट याचिकाकर्ता की तरफ से प्रस्तुति के संबंध में जब तक प्रस्ताव दस्तावेज़ों की अन्य शर्तों की पूर्ति नहीं होती है, वह हमेशा हो सकता है। वैसे भी, जीएचएस को जीएचएस प्रदान करने के लिए चुनना एमएसएमई

आदेशों की मूलभूत बात के रूप में किसी भी सामग्री और सेवाओं की क्रय प्रक्रिया के साथ समान नहीं किया जा सकता। किसी भी स्थिति में, जैसा कि यहाँ पर ध्यान दिया गया है, प्रतिवादी संख्या 1 की स्थिति पर, उच्च न्यायालय को प्रस्तावदस्तावेज़ों की शर्तों और शर्तों को चुनौती देने वाली रिट याचिका को मनोरंजन नहीं करना चाहिए था और जैसा कि यहाँ पर ध्यान दिया गया है, प्रस्तावकी किसी भी शर्त/पात्रता मानदंड को मनमाना और/या दुर्भावनापूर्ण और/या पक्षपात से प्रेरित नहीं कहा जा सकता।

12. उपर्युक्त और उपर्युक्त कारणों के लिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए विवादित निर्णय और आदेश(ओं) अस्थायी हैं और वह रद्द और पक्ष में स्थानांतरित किए जाने के योग्य हैं और इस प्रकार यहां पर रद्द और पक्ष में स्थानांतरित किए जाते हैं। , उच्च न्यायालय के सामने प्रतिवादी संख्या 1 - मूल रिट याचिकाकर्ता की स्थिति पर दायर रिट याचिका खारिज हो जाती है।

13. तत्कालिक अपीलें इस प्रकार स्वीकृत की जाती हैं। हालांकि, मामले के तथ्य और परिस्थितियों में, लागत के अनुसार कोई आदेश नहीं होगा।

दिव्या पांडे. अपील स्वीकृत की जाती है।

रीना पाण्डेय वकील द्वारा अनुवादि